दिनांक– 16.12.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

दिनांक– 16.12.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नाकिंत बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लिये गएः–

(i) DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में :– विगत् बैठक में लिये गए निर्णय के अनुपालन में निम्नांकित 10 प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया हैः–

क्र0सं0	अवयव	प्रस्ताव में निहित राशि
01.	भू–अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण	94.07 लाख
02.	अंचल स्तरीय आधुनिक अभिलेखागार	10245.29 लाख
03.	जिला स्तरीय डाटा केन्द्र	228.17 लाख
04.	अनुमण्डल स्तरीय डाटा केन्द्र	51.11 लाख
05.	अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र	504.98 लाख
06.	सर्वे/री–सर्वे	10358.85786 लाख
07.	NLRMP Cell	128.575 लाख
08.	राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन	1246.305 लाख
09	इन्टरकनेक्टीविटी	1213.15 लाख
10.	PMU का संचालन	307.80 लाख
	कुल योग	**24378.30786**

उपर्युक्त 10 प्रस्तावों के अतिरिक्त GIS Lab स्थापित करने के संबंध में समर्पित प्रस्ताव के संबंध में निदेशानुसार स्मारित किया गया है। इन प्रस्तावों के अतिरिक्त Capacity Building एवं IEC (Information Education and communication) एवं SDC का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

विमर्शोपरांत तय हुआ कि IEC के लिए तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव में अंचल, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त राज्य के बाहर प्रमुख शहरों के मुख्य स्थानों पर, जिसमें पर्यटन विभाग के बाहर होर्डिंग लगाना भी शामिल हों, प्रचार–प्रसार के लिए कार्य–योजना तैयार की जाए तथा माईकिंग संबंधी प्रस्तावों को आवश्यकतानुसार ही दिया जाए और माइकिंग की विडियो रिकॉर्डिंग संधारित करने की व्यवस्था करायी जाए।

Capacity Building Programme के लिए तैयार किए जाने वाले प्रस्तावों में RSTI (Revenue Survey Training Institute), बोधगया को कार्यकारी बनाने एवं आवश्यक संसाधन इत्यादि के लिए आवश्यक राशि को शामिल किया जाए। साथ ही पूर्णियाँ में एक अतिरिक्त RSTI का प्रस्ताव तैयार किया जाए एवं इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को पत्र देने का निर्णय लिया गया ।

Capacity Building के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप–रेखा के संबंध में निदेशालय में पदस्थापित जिलों के नोडल सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। उपर्युक्त के आलोक में IEC एवं Capacity Building संबंधी प्रस्ताव तैयार कर आगामी समीक्षात्मक बैठक में उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

(ii) वार्षिक बजटः– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में दिए गए निदेशों के अनुपालन में वार्षिक बजट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में लगाए जाने वाले पिलरों पर होने वाला व्यय विधि विभाग से प्राप्त मन्तव्य के आलोक में निदेशाालय द्वारा वहन किया जाना है, अतः इसके लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि पिलर पर व्यय होने वाली राशि के लिए वित्त विभाग से संपर्क स्थापित कर अलग शीर्ष का निर्माण कर लिया जाए और आवश्यक राशि का अनुमानित बजट तैयार कर राशि की मांग की जाए।

(iii) आधुनिक अभिलेखागार भवनः– आधुनिक अभिलेखागार भवन के संचालन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का प्रारूप तैयार कर लिया गया है एवं आवश्यक प्रस्ताव उपस्थापित किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार राज्य के 436 अंचल कार्यालयों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष को कार्यकारी बनाने के लिए तत्काल 98 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार के लिए किराये पर भवन लिया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में विमर्शोपरांत तय हुआ कि जिन अंचलों में स्थान उपलब्ध नहीं है, वैसे अंचलों के लिए जिलों से स्थल अनुपलब्धता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित MRR के अनुरूप क्षेत्रफल का भवन ही किराये पर स्थान लिया जाए।

(iv) भू–नक्शा सॉफ्टवेयरः– बैठक में उपस्थित एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भू–नक्शा सॉफ्टवेयर को राज्य के लिए Customize कर दिया गया है और नए निर्मित होने वाले मानचित्रों में इसे Textual Data के साथ Integrate कर मानचित्रों को साथ–साथ अद्यतन किया जा सकेगा। पृच्छा की गई कि दाखिल–खारिज प्रक्रिया और इसके लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के साथ इसका Integration किस प्रकार होगा और इसे करने के लिए क्या तैयारियाँ की जानी आवश्यक होंगी। साथ ही इसे दाखिल–खारिज प्रक्रिया के सम्बद्ध करने के लिए दाखिल–खारिज अधिनियम एवं नियमावली में संशोधन की आवश्यकता होगी। प्रतिवेदित किया गया कि इस प्रक्रिया को अपनाने में भूमि के निबन्धन पूर्व उसके Pre Sketch को तैयार किया जाना आवश्यक होगा, जिसके लाईसेंसधारी सर्वेयर की आवश्यकता होगी।

विशेष सचिव उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए निदेशक, भू–अभिलेख की अध्यक्षता में निदेशक, भू–अर्जन, उप सचिव तथा अन्य सभी आवश्यक पदाधिकारियों को मिलाकर एक कमेटी गठन का प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे। साथ ही विमर्शोपरांत तय हुआ कि निबन्धन के साथ स्वतः दाखिल–खारिज की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि निर्धारित की जाए और निबन्धन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इस तरह व्यवस्था विकसित की जाए, जिसमें भूमि निबन्धन के डाटा अंचल कार्यालय को स्वतः प्राप्त होने के पाँच दिन बाद दाखिल–खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाए।

(v) ETS का क्रयः– प्रतिवेदित किया गया कि विगत् बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में 550 ई0टी0एस0 खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया गया है एवं इसके Specification को निर्धारित करने के लिए तकनीकी परामर्शदातृ समिति की बैठक की तिथि निर्धारित करने के साथ–साथ आपूर्ति करने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

विमर्शोपरांत तय हुआ कि इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए।

(vi) विशेष सर्वेक्षण में प्रयुक्त पिलर की संरचना एवं दरः– प्रतिवेदित किया गया कि पिलर की दर भवन निर्माण विभाग से प्राप्त कर इसका अनुमोदन तकनीकी परामर्शदातृ समिति से करा लिया गया है। अंचल/बन्दोबस्त कार्यालय से इसका निर्माण करवाने और उन्हें राशि उपलब्ध कराने के लिए संचिका उपस्थापित कर दी गई है।

विमर्शोपरांत तय हुआ कि पिलर पर होने वाले व्यय के अलग शीर्ष निर्धारण का प्रस्ताव देते हुए इस सम्बन्ध में सभी अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर ली जाए।

(vii) MARBLE (Map Record Based Land Entitlement):– प्रतिवेदित किया गया कि MARBLE का विमोचन दिनांक 09.12.2020 एवं 10.12.2020 की राज्यस्तरीय बैठक में कर दिया गया है।

विमर्शोपरांत तय हुआ कि MARBLE की 5000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मियों के मध्यम इसका वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए।

(viii) DoLR Status:– प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान में DoLR Status के तहत MIS Components की वर्त्तमान संधारण की स्थिति निम्नवत हैः– (छायाप्रति प्रति परिशिष्ट 'क' में संलग्न)

DILRMP Work Progress Status		
MIS Components		Dec week 2
Status - Green		
1	RECORD OF RIGHTS ON WEB	100%
2	STATE DATA CENTRE SETUP	100%
3	CITIZEN CENTRIC SERVICES	100% RoR Only
4	DIGITIZATION OF CADASTRAL MAPS	99.67%
5	AUTOMATION OF SUB-REGISTRAR OFFICES	96.83%
6	COMPUTERIZATION OF LAND RECORDS (RECORD OF RIGHTS)	76.91%
Status - Yellow		
7	TEHSIL MODERN RECORD ROOM	31.94%
Status - Red		
8	INTEGRATION OF LAND RECORDS & PROPERTY REGISTRATION	7.14%
9	SURVEY/RE-SURVEY	0.10%
10	BHU-NAKSHA CUSTOMIZATION	0.01%
11	TEXTUAL AND SPATIAL DATA INTEGRATION	0.00%

उपर्युक्त प्रतिवेदन में क्रम संख्या 7, 8, 9, 10, 11 में वर्णित Component की इन्ट्री कम होने के कारण अपर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा राज्य के सभी जमाबंदी पंजियों का कम्प्यूटराईजेशन कार्य किया जा चुका है। वर्णित परिस्थिति में सी0एल0आर0 के कार्यों को MIS Portal पर अद्यतन किया जाए।

विमर्शोपरांत तय हुआ कि आधुनिक अभिलेखागार के लिए जिलों को शीघ्र राशि उपलब्ध कराई जाए तथा उसके आधार पर ही राज्य के सभी आधुनिक अभिलेखागार भवनों को पूर्ण मानते हुए MIS Portal को अपडेट किया जाए।

इसी तरह Integration of Land Record and Property Registration, Survey-Resurvey, Bhu-Naksh Customization और Textual and Spatial Data Integration में इंट्री की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है। इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया एवं इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों के लिए आई0टी0 सेल के प्रभारी से स्थिति स्पष्ट करने की पृच्छा करने का निदेश दिया गया। Integration of Land Record and Property के संबंध में MIS Portal को अद्यतन किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि इसमें निबन्धन विभाग द्वारा प्रविष्टि की जानी है और अब तक इसमें जो प्रविष्टि की गई है, वह निबन्धन विभाग द्वारा ही की गई है।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई है।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019.....11637.....**पटना, दिनांक :–** 21/12/2020

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019.....11637.....**पटना, दिनांक :–** 21/12/2020

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप/श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह– नोडल पदाधिकारी, IEC, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019.....11637.....**पटना, दिनांक :–** 21/12/2020

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019.....11637.....**पटना, दिनांक :–** 21/12/2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019 11637 पटना, दिनांक :– 21/12/2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप